**Title:** Further discussion on the State Financial Corporations (Amendment) Bill, 2000 moved by Shri Yashwant Sinha on 03.08.2000 (Bill passed)

**MR. CHAIRMAN : The House shall now take up the next Item − Item No.8 − Further Consideration of the State Financial Corporations Bill.**

Shri Hannan Mollah was on his feet. Shri Hannan Mollah, you can continue and conclude your speech.

SHRI HANNAN MOLLAH (ULUBERIA): Sir, when I spoke last time, I raised certain problems of the State Financial Corporations. I would like to draw the attention of the hon. Minister to them. I would request him to provide adequate assistance to help those SFCs in respect of the following matters.

One of the problems they face is the financial crunch because they have serious limitations in respect of mobilisation of funds − either internal or external. So, the question that arises is how these SFCs can mobilise funds - both internal and external. Of course, some provision has been made in this amendment. It should be properly implemented and that aspect should be looked into.

Then, there is a concessional capital from the Central and the State Governments as also the others. That is also declining. That should also be considered. Because of the financial crunch, the SFCs are forced to go in for commercial borrowing at a higher rate of interest. That also makes them non-viable in certain cases. That should also be kept in mind.

I have seen the observations made by the advisors of the World Bank. I quote:

> "These institutions have been unable to secure independent resources through saving mobilisation. Their poor portfolio performance and weak reserve mobilisation capacities have meant continued reliance on Government sources for lending and equity participation."

So, they depend on Government because of these limitations. How can we remove those limitations? That is one of the major questions. The resource crunch has been aggravated because the market borrowing is very tough. How can they face that toughness? That is one issue before the SFCs. Then, the small and medium enterprises suffer more to get the loans.

The SFCs help the successful units and not the new units. That is another problem faced by the small and medium entrepreneurs.

Another problem is in the lending policy. There should be flexibility. Now, there is rigidity in the lending policy of the SFCs. Rigidity should also be removed. Financial assistance should be given any time. Getting assistance in time is another problem. In this amendment, some attempts have been made.

In the objectives, we have mentioned about the removal of restriction on issue of sales and bonds. It is a good suggestion and the same may be properly implemented. Regarding the transfer of share capital of the IDBI to the Small Industries Development Bank it is also a welcome suggestion. Autonomy for the SFCs is proposed which would also help the industries concerned. The role of the State Governments has also been enhanced and the same would also help.

The NPA of SFCs is a problem. They are worried about their balance sheets. I would like to bring to the notice of the hon. Minister that SFCs are facing the problem of balance sheet. Their balance sheets are not cleansed. After this new attempt, they should be given a clean slate to start. Only then would it be helpful for them. Their balance sheets should be cleansed and their NPAs should be waived.

The employees of the SFCs should have the opportunity to get the share in the institution. I would request that providing financial assistance should be timely and adequate. Terms and conditions of the loan should be easy and simple. The attitude of the officials of the SFCs should be cordial and cooperative towards the small and medium entrepreneurs. Provision for proper consultation should also be provided by the SFCs so that their loans are properly utilised. Concessional finance for the development of small-scale industries is very much important. I think that if these amendments are implemented, and as the Government has said that agriculture will also get some of the benefits of the industry, in the agricultural operations, in poultry, pottery, hatchery, dairy, horticulture and in all these areas, SFCs should also come forward so that in the agrarian economy, they can play an important role.

I hope the hon. Minister will take proper note of all these suggestions and would help the SFCs to strengthen themselves so that our economy, small and medium industries, and rural industries are strengthened.

**श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) :** सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री द्वारा जो राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक, 2000 प्रस्तुत किया गया है, जिसके माध्यम से राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 में संशोधन का प्रावधान किया गया है का समर्थन करता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि इस देश में महात्मा गांधी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉ. राम मनोहर लोहिया जी ने जो लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का एक सपना देखा था, इस विधेयक में जो संशोधन किया जा रहा है, वह निश्चित रूप से उस सपने को साकार और इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ तथा लोगों को लाभान्वित कर सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, मूल रूप से इसमें चार-पांच ऐसी धाराएं हैं जिनमें संशोधन के कारण वित्तीय निगम देश के हित में बहुत अच्छा काम करेगा। धारा तीन में जो संशोधन किया गया है जिसके कारण जो विकास बैंक नाम अभी तक चल रहा था उसके स्थान पर लघु उद्योग बैंक शब्द रखा जा रहा है।

लघु उद्योग बैंक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 की धारा 3 (1) के अधीन स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहलाया जाएगा। इसके माध्यम से लघु उद्योगों को पनपने के लिए, संचालित करने के लिए उनके द्वारा जो माल उत्पादित किया जाता है, उसकी मार्किटिंग के लिए ऋण सुविधाएं दी जा सकेंगी। इस संशोधन विधेयक की प्रमुख विशेाता यह है कि अभी तक विकास बैंक की जो प्राधिकृत पूंजी थी, वह कम से कम 50 लाख रुपये और अधिक से अधिक 50 करोड़ रुपये की थी और राज्य सरकार की अनुमति से 50 करोड़ रुपये की बजाए 100 करोड़ रुपये की जा सकती थी, केवल यही प्रावधान था। यह राशि लघु उद्योग और उद्योगों के विकास के लिए अपर्याप्त ही नहीं थी, अगर हम यह कहें कि यह `ऊंट के मुंह में जीरा` थी तो भी कोई गलत बात नहीं थी। यह राशि बहुत कम पड़ती थी। माननीय मंत्री जी ने धारा 4 (1) (2) (3) में यह संशोधन किया है कि मिनिमम प्राधिकृत पूंजी तो 50 लाख रुपये रहेगी परन्तु अधिकतम प्राधिकृत पूंजी 50 करोड़ रुपये की बजाए 500 करोड़ रुपये हो सकेगी और उस 500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भी यदि राज्य सरकार सहमति देगी तो वह प्राधिकृत पूंजी 1000 करोड़ रुपये कर सकेगी अर्थात 1000 करोड़ रुपये तक की प्राधिकृत पूंजी लघु उद्योग बैंक के पास रहने की व्यवस्था हो सकेगी। आप और हम सब जानते हैं कि इस देश में लम्बे समय से औद्योगिक मन्दी का वातावरण है और इस औद्योगिक मन्दी के वातावरण के कारण देश की औद्योगिक विकास दर अवरुद्ध हो रही थी, राष्ट्रीय आय पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा था और ऐसा महसूस किया जाने लगा था कि छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना बनाई जानी चाहिए।

मुझे याद आ रहा है वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाण में इस बात का उल्लेख किया था कि हमारी सरकार देश में लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी और मंत्री जी और अटल जी की सरकार ने जो कहा था, उसे कर दिखाने का यह संशोधन विधेयक प्रमाण है। इसके कारण जो प्र ाधिकृत पूंजी में भारी वृद्धि होगी, उसके कारण लघु उद्योगों को ऋण सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और जो औद्योगिक मन्दी का वातावरण है, उससे हम इस देश को उभारने में अग्रसर हो सकेंगे। हम सब इस बात को महसूस करते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है अर्थात बड़े उद्योगों के सामने जो छोटे-छोटे उद्योग इस देश में हैं, वे मार्किटिंग की दृटि से और औद्योगिक उत्पादन की दृटि से सफल नहीं हो पा रहे हैं।...(व्यवधान) इसके साथ मंत्री जी ने बहुत सारी धारा और उप धाराओं में अनेक ऐसे प्रावधान किए हैं जिसके कारण लघु उद्योग बैंक सुदृढ़ हो सकेंगे। निदेशक मंडल को पहले जितने अधिकार चाहिए थे उतने अधिकार नहीं थे। अब इस संशोधन के माध्यम से निदेशक मंडल को भी लघु उद्योग बैंक के बारे में विस्तार से चर्चा करने का अधिकार मिल जाएगा। पहले केवल जो ऑडिट होता थ, उस ऑडिट पर ही चर्चा हो सकती थी, बैलैंस शीट पर ही चर्चा हो सकती थी, जनरल कार्यकलाप वित्त निगम में, उस पर चर्चा करने का प्रावधान पूर्व में नहीं था। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से वह प्रावधान भी किया गया है। मैं यह मानता हूं कि उसके कारण लघु उद्योग बैंक सुदृढ़ता से काम कर सकेंगे।

मैं इस संबंध में एक और निवेदन करना चाहता हूं कि कि जो शेयर होल्ड्र्स हैं या जो लघु उद्योग बैंक से संबंधित अधिकारी, कर्मचारी हैं, उनका प्रतिनिधित्व भी निदेशक मंडल की चर्चा के समय होना चाहिए। नहीं तो यह देखा जाता है,

**16.00 hrs.**

विकास बैंक या लघु उद्योग बैंक को संचालित करने वालों का जो एकतरफा अनुभव होता है, वह बात तो सामने आ जाती है, उस बात पर तो चर्चा हो जाती है, परन्तु उद्योगपति या अन्य लोग जो ऋण प्राप्त करते हैं, उनकी कठिनाइयों के बारे में चर्चा करने का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। इस दिशा में भी अगर माननीय मंत्री जी कोई प्रावधान कर सकेंगे तो मैं सोचता हूं कि लघु उद्योग बैंक और ज्यादा सक्षमता से काम कर सकेंगे।

MR. CHAIRMAN : Now, it is 4 o'clock. If it is a unanimous opinion of the House, we can pass this Bill in about 15 minutes. Then, we will take up the discussion under Rule 193.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN : Shri Gehlot, please conclude. We will pass the Bill.

**श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) :** आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Mr. Chairman, Sir, I am very grateful to all the Members of the House who have participated in this debate. I am also grateful to them for lending support unanimously to this piece of legislation. The unanimous support that this Bill has received from all quarters in this House is not at all surprising. I would like to recall to mind that the Committee to look into the condition of the State Financial Corporations was appointed when the Congress Government was in power in 1992. It submitted its Report in 1994. Then, the Report of this Committee remained under the examination of many Governments at the Centre. After that, it has been widely discussed with the State Governments. Finally, what I have brought before this House is the conclusion of all these discussions. Therefore, the Bill has really gone through the mill. It has been discussed at length. We have, therefore, included in this piece of legislation all the concerns.

I would like to say that one of the primary purposes of strengthening the State Financial Corporations is to be able to help the small scale industry in this country to which, I can claim, without fear of contradiction, that this Government is totally committed. Stronger State Financial Corporations will be another important window for the financing of the small scale sector in this country.

A lot has been done for the small scale sector. Much more remains to be done. I would like to take the House into confidence and say that the Prime Minister has appointed a Group of Ministers under the Chairmanship of the Home Minister which is going into the problems of the small scale sector. I am sure that once the Report of this

Group becomes available and the Cabinet and the Government have considered it, many of the problems of the small scale sector will stand resolved. One of the important problems of the small scale sector is, of course, financing. I, as Finance Minister, have been alive to this problem. In my three Budgets, I have done whatever I could to encourage further flow of funds. I will not like to take the time of the House. The figures suggest that

flow of funds to the SSI sector has indeed increased. The strengthening of the SFCs will, as I said, aid and assist in that process further.

Some concerns have been expressed in this House. I am happy that Dr. Raghuvansh Prasad Singh has joined us now.

उन्होंने कहा था कि बकरीपालन पर बहुत जोर देना चाहिए, बकरीपालन को इन सब चीजों में क्यों इन्क्लूड नहीं किया गया। हमें लगता है कि अगर गौर से उन्होंने इस बिल को पढ़ा होता तो उन्हें बुझाता कि उसमें बकरीपालन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस बिल में एक प्रावधान है कि सिड्बी एस.एफ.सी. को यह निर्देश दे सकती है, इसमें इल्लस्ट्रेटिव लिस्ट है, जो लिस्ट उदाहरण के लिए दी गई है, उसके अलावा भी और उद्योगों को इसमें जोड़ सकते हैं। उसमें बकरीपालन, सूअरपालन या और भी जो छोटी-छोटी चीजें गांव में गरीब लोगों के लिए हो सकती हैं, उनको निश्चित रूप से जोड़ने का अधिकार इसमें है।

उसकी वजह से कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। कुछ सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया था कि प्रबंध निदेशक की नियुक्ति कौन करेगा और यह कहा था कि हम लोग यह अधिकार राज्य सरकारों को न दें, यह अधिकार भी सीड्बी (SIDBI) के पास रहे। लेकिन मैं सदस्यों को बताना चाहूंगा कि जब राज्य सरकारों से विचार विमर्श हुआ तो उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि प्रबंध निदेशक की बहाली करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास ही रहना चाहिए। हम राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहते थे इसलिए हमने उस सुझाव को स्वीकार किया । नए बिल के अनुसार जो व्यवस्था होगी उसमें अध्यक्ष की बहाली सीड्बी (SIDBI) के द्वारा की जाएगी और प्रबंध निदेशक की बहाली राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी।

यहां पर सदस्य मुझ से सहमत होंगे कि राज्य वित्त निगमों को राज्य सरकारों को ही चलाना है। उसके ढांचे में परिवर्तन अवश्य हो रहा है, लेकिन उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी इस बात की होगी इसलिए हम उनको अलग-थलग करें, यह उम्मीद नहीं कर सकते कि ये वित्तीय संस्थान आसानी से चलेंगे। माननीय सदस्य हन्नान मोल्लाह जी ने जैसा कहा कि उनकी बैलेंस शीट को चैक किया जाए। जो उनकी शेयर केपिटल का रिस्ट्रक्चरिंग होगा, उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा। इस बिल को लाने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है, वह है कि जो मिश्रित अनुभव रहा है राज्य वित्त निगमों के बारे में, उसमें और सुधार लाकर, उनको और मजबूत संस्था के रूप में स्थापित करें, ताकि उनकी जो भूमिका है लघु उद्योगों को आगे बढ़ाने की, उस भूमिका का पालन वे आसानी से सफलता से कर सकें। इसलिए मैं पूरे सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह चर्चा में इसका विरोध नहीं हुआ, उसी तरह वोटिंग के समय भी इसको सर्वसम्मति से पास करें।

**श्री राजो सिंह (बेगुसराय) :** पास तो कर देंगे, लेकिन वित्त निगम में बड़े-बड़े लोग करोड़ों रुपए लेकर खा गए, उनकी वसूली आज तक नहीं हुई, उसके लिए क्या कर रहे हैं ?

MR. CHAIRMAN : Shri A.C.Jos and Shri Varkala Radhakrishnan have not moved their amendments.

The question is:

"That the Bill further to amend the State Financial Corporations Act, 1951 be taken into consideration. "

*The motion was adopted.*

___

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 to 37 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clauses 2 to 37 were added to the Bill.*

*Clause 1, Enacting Formula and Long Title were added to the Bill.*

SHRI YASHWANT SINHA: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

*The motion was adopted.*

__________

**16.09 hrs.**